प्र.सं. ..../ दावा / प्र.पत्र / ....

	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
6/2/26	पक्ष० उप०/ वकील प्रति० ने साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने का निवेदन किया। पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं करने से वास्ते बहस नियत की गई है। पत्रावली वास्ते बहस दि. 27/2/26 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
27/2/26	पक्ष० उप०। बहस उभयपक्ष सुनी गई है। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 6/3/26 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
6/3/26	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वादी वाद मे कायम तनकीयात को प्रमाणित करने मे असफल रहने से अस्वीकार कर खारीज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० मि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बूंदी

(पीठासीन अधिकारी श्रीमति मनस्वी नरेश आर.ए.एस.)

मिसल नं0 311/दावा/2025

तारीख दायरा 01.07.2015

तारीख फैसला 06.03.2026

1. प्रकाश कंवर पत्नि योगेन्द्र सिंह जाति चारण निवासी ग्राम ठीकरिया चारणान तहसील तालेडा जिला बूंदी राज0।
2. मधुसुदन पुत्री योगेन्द्र सिंह जाति चारण निवासी ग्राम ठीकरिया चारणान तहसील तालेडा जिला बूंदी राज0।
3. सिद्धार्थ पुत्र योगेन्द्र सिंह जाति चारण निवासी ग्राम ठीकरिया चारणान तहसील तालेडा जिला बूंदी राज0।

वादीगण

बनाम

1. घीसी बाई पत्नि भूरा लाल जाति भील निवासी डीडवाना तहसील आमेठ जिला राजसमन्द हाल न्यू कॉलोनी बून्दी बून्दी, राजस्थान।
2. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील तालेडा जिला बूंदी राज0।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ता वादीगण :- श्री नन्दसिंह सौलंकी
अधिवक्ता प्रतिवादी :- श्री अनिल खिडिया

- : : निर्णय : : -

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188 एवं 209 आर.टी. एक्ट

वादीगण द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 एवं 209 आर.टी. एक्ट के तहत प्रस्तुत किया। वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 299 रकबा 4.5082 हैक्टेयर वाके ग्राम ठीकरिया चारणान तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान में स्थित है जो वर्तमान जमाबंदी में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी में चली आ रही है। जमाबन्दी संवत 2016 के अनुसार उक्त भूमि के खसरा संख्या 40 थे तथा जमाबन्दी संवत 2016 के अनुसार उक्त भूमि वादीगण के दादाजी किशन सिंह व उनके भाई करणीदान पिसरान गोरीदान के एवं इनके अतिरिक्त इनके परिवारजनों के खातेदारी में दर्ज थी। पारिवारिक बंटवारे में उक्त भूमि करणीदान व किशन सिंह पिसरान गौरीदान को पारिवारिक बंटवारे में प्राप्त हुई थी तब से उक्त सम्पूर्ण भूमि पर करणीदान, किशन सिंह पिसरान गौरीदान का कब्जा काश्त है जो कि जमाबन्दी संवत 2016 के कॉलम संख्या 8 से प्रमाणित है। उक्त कॉलम संख्या 8 में देव्या वल्द मूल्या कौम भील का नाम लिखा हुआ है जो कि तत्समय ना तो उक्त भूमि पर काबिज काश्त था और ना ही सहखातेदार था। अवैध रूप से कॉलम संख्या 8 में जोता के स्थान पर नाम लिखा हुआ था। जमाबन्दी संवत 2022-23 में करणीदान व किशन सिंह पिसरान गौरीदान के साथ साथ उक्त भूमि पर देव्या का नाम भी जमाबन्दी मे खातेदार के स्थान पर दर्ज कर दिया गया जो कि राजस्व अधिकारियों के द्वारा बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के दर्ज किया गया। इस प्रकार बिना हक अधिकार के देव्या का नाम उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में राजस्व अधिकारी के द्वारा दर्ज किया गया। राजस्व अधिकारियों के द्वारा उक्त भूमि की जमाबन्दी में देव्या का नाम जो खातेदारी में दर्ज किया गया है वह प्रारम्भ से अवैध एवं शुन्य है। पूर्व खातेदार करणीदान लाऔलाद फौत हो जाने के कारण उक्त भूमि में निहित सभी अधिकार अपने भाई किशन सिंह को प्राप्त हो गये। किशन सिंह के मृत्यु के उपरान्त उक्त भूमि किशन सिंह के वारिसान को प्राप्त हुई। वर्तमान में उक्त सम्पूर्ण भूमि किशन सिंह के पुत्र योगेन्द्र सिंह के वैध वारिसान के खातेदारी व कब्जे काश्त में है। इस दौरान देव्या की मृत्यु हो जाने के कारण उक्त भूमि उसके पुत्र हजारी लाल के खातेदारी मे दर्ज हुई। हजारी लाल के द्वारा उक्त भूमि को बिना हक व अधिकार के मात्र राजस्व रिकार्ड मे नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर दिनांक 12.03.2007 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्रतिवादी संख्या 1 को बेचान कर दिया। प्रतिवादी संख्या 1 को किया गया बैचान प्रारम्भ से ही अवैध एवं शुन्य है। शुन्य बैचान नामा के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 को वादग्रस्त आराजी पर किसी प्रकार का हक व अधिकार प्राप्त नही हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 का वाद वर्णित भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा। उक्त भूमि पर हमेशा ही वादीगण एवं उनके पूर्वजो का

काश्त रहा है एवं खातेदारी में चली आ रही है। राजस्व अधिकारी एवं कर्मचारियों ने देव्या भील का अवैध रूप से वाद वर्णित कृषि भूमि की जमाबन्दी में खातेदार के स्थान पर दर्ज कर दिया जबकि उक्त सम्पूर्ण भूमि वादीगण के पूर्वजों के खातेदारी में चली आ रही थी। बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के राजस्व अधिकारियों द्वारा बिना अधिकार के वाद वर्णित भूमि के 1/2 हिस्से पर अवैध रूप से देव्या भील का नाम खातेदार के स्थान पर दर्ज कर दिया जो कि अवैध प्रविष्टी है। अवैध प्रविष्टी के आधार पर वाद वर्णित भूमि पर देव्या भील को किसी प्रकार का कोई हक अधिकार प्राप्त नही हुआ इसलिए देव्या भील की मृत्यु के उपरान्त उसके पुत्र हजारी लाल को भी किसी प्रकार से हक अधिकार प्राप्त नही हुआ। हजारी लाल के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को किया गया बैचान भी प्रारम्भ से अवैध एवं शुन्य है। कृषि भूमि पर खातेदारी अधिकार का हस्तान्तरण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, दान, वसीयत एवं उत्तराधिकार के आधार पर होता है यहां पर उपरोक्त प्रकार में से देव्या भील को खातेदारी अधिकार हस्तान्तरण नही हुए है। जमाबन्दी संवत् 2016 के अनुसार उक्त भूमि वादीगण के पूर्वजों के नाम खातेदारी मे दर्ज थी तथा पारिवारिक बंट्वारे में ततसमय उक्त भूमि वादीगण के पूर्वज करणीदान व किशन सिंह के हिस्से में आई थी। वर्तमान मे उक्त सम्पूर्ण भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त है। वादीगण ने आज से 1 माह पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 से उक्त सम्पूर्ण भूमि के संबंध में पूर्व के समस्त दस्तावेज लेकर जानकारी दी कि हजारी लाल ने आपको उक्त भूमि का बैचान अवैध रूप से किया है। उक्त भूमि हमारे पूर्वजों के खातेदारी में दर्ज थी बिना हक अधिकार के हजारी लाल के पिता के नाम खातेदारी दर्ज कर दी गई थी। वाद वर्णित सम्पूर्ण भूमि पर वादीगण का ही हक अधिकार है लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण के द्वारा दिखाऐ गये दस्तावेजात को तथा वादीगण के वाद वर्णित सम्पूर्ण भूमि पर हक व अधिकार मानने से इन्कार कर दिया तब वाद प्रस्तुती का वाद कारण उत्पन्न हुआ हो निरन्तर जारी है। वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि माननीय न्यायालय से वाद वर्णित भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से पर पूर्व राजस्व रिकार्ड के अनुसार खातेदारी अधिकार घोषणा की डिक्री प्राप्त करें साथ ही में तहसीलदार तालेडा के विरूद्ध इस आशय का आदेश प्राप्त करें कि तहसीलदार तालेडा प्रतिवादी संख्या 1 का नाम वाद वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड से विलोपित कर वादीगण के नाम खातेदारी मे दर्ज करें साथ ही में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करें कि प्रतिवादीगण वाद वर्णित कृषि भूमि पर अन्यथा रहन, बेचान, भारग्रस्त नही करें। अतः श्रीमान से निवेदन है कि वादीगण का वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद वर्णित कृषि भूमि खसरा सं0 299 रकबा 4.5082 है0 वाके ग्राम ठिकरिया चारणान पर प्रतिवादी सं0 1 के हिस्से पर पूर्व राजस्व रिकार्ड के अनुसार खातेदारी अधिकार घोषणा की डिक्री वादीगण के पक्ष में जारी करे। प्रतिवादी सं0 1 का नाम वाद वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड से विलोपित कर वादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज करे। प्रतिवादीगण को वाद वर्णित कृषि भूमि पर अन्यथा रहन बैचान अथवा भारग्रस्त नही करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिवादी सं0 1 ने उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद वर्णित आराजी प्रतिवादी सं0 1 ने दिनांक 12.03.2007 को जर्ये रजिस्टर विक्रय पत्र क्रय किये। वर्तमान में उक्त भूमि पर वादीगण का कब्जा होना स्वीकार है। प्रतिवादी सं0 1 द्वारा वाद वर्णित आराजी सदभावी विक्रेता कि हेसियत से खरीद किये। वादीगण का वादपत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रस्तुत वादपत्र एवं जवाब दावा के आधार पर निम्नांकित तनकीयात कायम किये गये।

1. आया वाद वर्णित कृषि भूमि संवत् 2016 से वादीगण के पूर्वजो के नाम खातेदारी में दर्ज थी, पारिवारिक बंट्वारें में उक्त भूमि वादीगण के पूर्वज करणीदान व किशनसिंह के हिस्से में आने से वादीगण के कब्जे काश्त में होने से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकार है। - वादीगण
2. आया वाद वर्णित कृषि भूमि पर संवत 2022-23 की जमाबन्दी में देव्या का नाम गलत रूप से खातेदार के स्थान पर दर्ज कर दिया गया, जो प्रारम्भ से अवैध एवं शुन्य है। - वादीगण
3. आया वाद वर्णित तथ्यों के आधार पर वादीगण प्रतिवादी सं0 1 का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित करवाने के अधिकारी है। - वादीगण
4. आया प्रतिवादी सं0 1 वाद वर्णित आराजी का सदभावी क्रेता होने एवं खातेदारी अधिकार होने से वाद वादी खारिज योग्य है। - प्रतिवादी सं0 4
5. अनुतोष।

वकील वादी द्वारा वादपत्र के समर्थन में सिद्धार्थ पुत्र योगेन्द्र सिंह का साक्ष्य में शपथ पत्र पेश कर [illegible]त दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत् 2076 प्रदर्श-1, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श-2, जमाबन्दी सम्वत् 2065-68 [illegible]दर्श-3, नामान्तकरण सं0 531 प्रदर्श-4, जमाबन्दी सेटलमेन्ट 2028-47 प्रदर्श-5, जमाबन्दी सम्वत् 1911-16 प्रदर्श-6, जमाबन्दी सम्वत् 2011-23 प्रदर्श-7 अंकित करवाया। दौराने जिरह कहा कि यह कहना गलत है कि मौके पर हमारा कब्जा नही है। जबकि वर्तमान में हमारा कब्जा है । यह कहना गलत है कि शुरू से ही हमारा कब्जा नही रहा बल्कि हमारा कब्जा पूर्वजो के समय से ही चला आ रहा है। यह कहना गलत है कि मौके पर देव्या भील का कब्जा रहा। हमारी भूमि पर देव्या भील व उसके वारिसान का कभी कब्जा नही रहा है। घीसी बाई ने बिना कब्जे के जमीन खरीदी है। देव्या भील व उसके वारिसान का नाम गलत रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ था। यह बात सही है कि वर्तमान में हमारे द्वारा गेंहु की फसल बो रखी है।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। वकील वादी ने वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वाद वर्णित आराजी जमाबन्दी संवत 2016 के अनुसार उक्त भूमि के खसरा संख्या 40 थे तथा जमाबन्दी संवत 2016 के अनुसार उक्त भूमि वादीगण के दादाजी किशन सिंह व उनके भाई करणीदान पिसरान गोरीदान के एवं इनके अतिरिक्त इनके परिवारजनों के खातेदारी में दर्ज थी। पारिवारिक बंट्वारे में उक्त भूमि करणीदान व किशन सिंह पिसरान गौरीदान को पारिवारिक बंट्वारे में प्राप्त हुई थी तब से उक्त सम्पूर्ण भूमि पर करणीदान, किशन सिंह पिसरान गौरीदान का कब्जा काश्त है जो कि जमाबन्दी संवत 2016 के कॉलम संख्या 8 से प्रमाणित है। उक्त कॉलम संख्या 8 में देव्या वल्द मूल्या कौम भील का नाम लिखा हुआ है जो कि तत्समय ना तो उक्त भूमि पर काबिज काश्त था और ना ही सहखातेदार था। अवैध रूप से कॉलम संख्या 8 में जोता के स्थान पर नाम लिखा हुआ था। जमाबन्दी संवत 2022-23 में करणीदान व किशन सिंह पिसरान गौरीदान के साथ साथ उक्त भूमि पर देव्या का नाम भी जमाबन्दी मे खातेदार के स्थान पर दर्ज कर दिया गया जो कि राजस्व अधिकारियों के द्वारा बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के दर्ज किया गया। इस प्रकार बिना हक अधिकार के देव्या का नाम उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में राजस्व अधिकारी के द्वारा दर्ज किया गया। राजस्व अधिकारियों के द्वारा उक्त भूमि की जमाबन्दी में देव्या का नाम जो खातेदारी में दर्ज किया गया है वह प्रारम्भ से अवैध एवं शुन्य है। पूर्व खातेदार करणीदान लाऔलाद फौत हो जाने के कारण उक्त भूमि में निहित सभी अधिकार अपने भाई किशन सिंह को प्राप्त हो गये। किशन सिंह के मृत्यु के उपरान्त उक्त भूमि किशन सिंह के वारिसान को प्राप्त हुई। वर्तमान में उक्त सम्पूर्ण भूमि किशन सिंह के पुत्र योगेन्द्र सिंह के वैद्य वारिसान के खातेदारी व कब्जे काश्त में है। इस दौरान देव्या की मृत्यु हो जाने के कारण उक्त भूमि उसके पुत्र हजारी लाल के खातेदारी मे दर्ज हुई। हजारी लाल के द्वारा उक्त भूमि को बिना हक व अधिकार के मात्र राजस्व रिकार्ड मे नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर दिनांक 12.03.2007 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्रतिवादी संख्या 1 को बेचान कर दिया। प्रतिवादी संख्या 1 को किया गया बैचान प्रारम्भ से ही अवैध एवं शुन्य है। शुन्य बैचान नामा के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 को वादग्रस्त आराजी पर किसी प्रकार का हक व अधिकार प्राप्त नही हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 का वाद वर्णित भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा। उक्त भूमि पर हमेशा ही वादीगण एवं उनके पूर्वजो का कब्जा काश्त रहा है एवं खातेदारी में चली आ रही है। कृषि भूमि पर खातेदारी अधिकार का हस्तान्तरण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, दान, वसीयत एवं उत्तराधिकार के आधार पर होता है यहां पर उपरोक्त प्रकार में से देव्या भील को खातेदारी अधिकार हस्तान्तरण नही हुए है। यह कि जमाबन्दी संवत् 2016 के अनुसार उक्त भूमि वादीगण के पूर्वजों के नाम खातेदारी मे दर्ज थी तथा पारिवारिक बंट्वारे में तत्समय उक्त भूमि वादीगण के पूर्वज करणीदान व किशन सिंह के हिस्से में आई थी। वर्तमान मे उक्त सम्पूर्ण भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त है। अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद वर्णित कृषि भूमि खसरा सं0 299 रकबा 4.5082 है0 वाके ग्राम ठिकरिया चारणान पर प्रतिवादी सं0 1 के हिस्से पर पूर्व राजस्व रिकार्ड के अनुसार खातेदारी अधिकार घोषणा की डिक्री वादीगण के पक्ष में जारी करे। प्रतिवादी सं0 1 का नाम वाद वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड से विलोपित कर वादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज करे। प्रतिवादीगण को वाद वर्णित कृषि भूमि पर अन्यथा रहन बैचान अथवा भारग्रस्त नही करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन कर प्रकरण में तनकीवार विवेचन निम्नानुसार किया गया -

आया वाद वर्णित कृषि भूमि संवत् 2016 से वादीगण के पूर्वजो के नाम खातेदारी में दर्ज थी, पारिवारिक बंट्वारें में उक्त भूमि वादीगण के पूर्वज करणीदान व किशनसिंह के हिस्से में आने से वादीगण के कब्जे काश्त में होने से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकार है।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श–1 लगायत 7 एवं साक्ष्य वादी का अवलोकन करने पर वादी का यह कथन की वाद वर्णित आराजी पारिवारिक बंट्वारें में वादीगण के पूर्वज करणीदान व किशनसिंह के हिस्से में आने से वादीगण के कब्जे काश्त में होने से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रमाणित नही होता है। समस्त रिकार्ड राजस्व जमाबन्दी में वाद वर्णित आराजी करणीदान व किशन सिंह हिस्सा 1/2 , देव्या वल्द मूल्या कौम भील हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड है। जो कि यह स्पष्ट करता है कि उक्त आराजी का बंट्वारा नही हुआ है। ना ही वादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज पेश किया जो यह स्पष्ट करे कि कुल भूमि एवं कितने खातेदारो के मध्य बंट्वारा होकर वाद वर्णित भूमि वादीगण के पूर्वजो के खाते दर्ज हुयी। वादीगण द्वारा ऐसी कोई जमाबन्दी सम्वत् 1911 से आज दिनांक वाद में प्रस्तुत नही की गयी जिसमें केवल मात्र वादीगण का नाम ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में देव्या के जीवनकाल में वादीगण के साथ देव्या वल्द मूल्या कौम भील का नाम दर्ज रिकार्ड है जो कि वाद वर्णित आराजी में देव्या वल्द मूल्या भील के खातेदारी अधिकारों को प्रमाणित करता है। अतः यह तनकी वादीगण के विरूद्ध प्रमाणित की जाती है।

2. **आया वाद वर्णित कृषि भूमि पर संवत 2022–23 की जमाबन्दी में देव्या का नाम गलत रूप से खातेदार के स्थान पर दर्ज कर दिया गया, जो प्रारम्भ से अवैध एवं शुन्य है। –**

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादी का यह कथन कि वाद वर्णित कृषि भूमि पर संवत 2022–23 की जमाबन्दी में देव्या का नाम गलत रूप से खातेदार के स्थान पर दर्ज कर दिया गया, जो प्रारम्भ से अवैध एवं शुन्य है, को वादीगण ने प्रमाणित करने हेतु ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है जो सम्वत् 2022 – 23 की जमाबन्दी में देव्या के नाम की राजस्व रिकार्ड में प्रविष्टी को गलत प्रमाणित कर सके चूंकि वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंन्दी सीगा सम्वत् 1911–16 में भी देव्या वल्द मूल्या कौम भील हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड होना प्रदर्श–6 जमाबन्दी से प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में राजस्व रिकार्ड में गलत प्रविष्टि किस प्रकार हुयी यह प्रमाणित नही होता है। अतः यह तनकी वादीगण सिद्ध करने में असफल रहने से वादीगण के विरूद्ध प्रमाणित की जाती है।

3. **आया वाद वर्णित तथ्यों के आधार पर वादीगण प्रतिवादी सं0 1 का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित करवाने के अधिकारी है।**

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। तनकी सख्या 1 व 2 में वर्णित विवेचन अनुसार वादी वाद वर्णित तथ्यों को सिद्ध करने में असफल रहने से यह तनकी वादीगण के विरूद्ध प्रमाणित की जाती है।

4. **आया प्रतिवादी सं0 1 वाद वर्णित आराजी का सदभावी क्रेता होने एवं खातेदारी अधिकार होने से वाद वादी खारिज योग्य है।**

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी सं0 1 पर था। प्रतिवादी सं0 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब की पुष्टि वाद पत्र में संलग्न नामान्तकरण सं0 531 प्रदर्श–4 के अवलोकन से होती है। जिसके अनुसार प्रतिवादी सं01 ने वाद वर्णित आराजी हजारी लाल से जर्ये रजिस्टर विक्रय पत्र क्रय किया जाना प्रमाणित है। अतः वाद वर्णित आराजी में घीसी बाई पत्नि भूरा लाल हिस्सा 1/2 जर्ये रजिस्टर विक्रय पत्र क्रय करने के कारण घीसी बाई को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये है। घीसी बाई पत्नि भूरा लाल जाति भील अनुसूचित जनजाति वर्ग की सदस्य होने से घीसी बाई का हिस्सा अनुसूचित जनजाति वर्ग के अतिरिक्त अन्य को हस्तान्तरण किये जाना वैधानिक नही हो सकता, ना ही घीसी बाई जो कि जर्ये रजिस्टर विक्रय पत्र अनुसार सदभावी क्रेता है का विक्रय पत्र अवैध अथवा शुन्य घोषित नही हुआ है। इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 के वाद वर्णित आराजी में खातेदारी अधिकार पूर्णतया निहित है। अतः यह तनकी प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में प्रमाणित की जाती है।

5. **अनुतोष** – पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व साक्ष्य वादी का अवलोकन करने, बहस उभयपक्ष पर मनन करने एवं वाद पत्र में कायम तनकीयो का तनकीवार विवेचन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि वाद वर्णित आराजी में प्रतिवादी सं0 1 सदभावी क्रेता है जिनके द्वारा मूल पुरुष देव्या आ0 मूल्या जाति भील के उत्तराधिकारी हजारी लाल से जर्ये विक्रय पत्र क्रय करने के कारण खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये है। जिन्हे अवैध एवं प्रभाव शुन्य नही माना जा सकता। प्रतिवादी सं0 1 अनुसूचित जनजाति वर्ग कि सदस्य होने से प्रतिवादी सं0 1 के खातेदार अधिकार की भूमि को तब

तक समाप्त नही किया जा सकता जब तक की उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार मूल पुरूष देव्या आ0 मूल्या के खातेदारी अधिकारो को शुन्य अथवा अवैध घोषित नही माना जावे। यहां यह भी विचारणीय बिन्दु है कि वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सीगा में वादीगण के पूर्वजो के साथ में देव्या आ0 मूल्या भील का नाम दर्ज रिकार्ड था तो तत्समय उक्त गलत प्रविष्टि को चैलेंज क्यो नही किया गया। उक्त भूमि प्रतिवादी सं0 1 खाते दर्ज रिकार्ड होने से पूर्व देव्या के उत्तराधिकारी हजारीलाल के खातेदारी अधिकार में आयी एवं तत्पश्चात प्रतिवादी सं0 1 को जर्ये विक्रय पत्र हस्तांतरित हुये है। वादीगण का यह कथन भी प्रमाणित नही है कि देव्या आ0 मूल्या का नाम उक्त आराजी में वादीगण के पूर्वजो के साथ संवत 2022-23 में गलत दर्ज हुआ है जबकि देव्या आ0 मूल्या भील का नाम इससे पूर्व की जमाबन्दी सीगा में भी दर्ज रेकार्ड है जो यह सिद्व करता है कि देव्या आ0 मूल्या भील पूर्व से ही वाद वर्णित आराजी में 1/2 हिस्से का खातेदार दर्ज रेकार्ड था। अतः उक्त विवेचनानुसार प्रतिवादी सं0 1 के खातेदारी अधिकार को अवैध एवं प्रभाव शुन्य धोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। उक्त आराजी पर प्रतिवादी सं0 1 काबिज काश्त नही है तो इस बाबत प्रतिवादी सं0 1 कब्जा बाबत पृथक से अनुतोष प्राप्त करने हेतु कार्यवाही कर सकती है। प्रतिवादी सं0 1 अनुसुचित जनजाति की सदस्या है जबकि वादीगण अनुसुचित जनजाति के सदस्य नही होने से अनुसुचित जनजाति वर्ग की कृषि भूमि पर किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त नही कर सकते। अतः वाद वादी वाद में कायम तनकीयात को प्रमाणित करने में असफल रहने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 06.03.2026 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला बून्दी।
इजलास मनस्वी नरेश , आर0ए0एस0

1. प्रकाश कंवर पत्नि योगेन्द्र सिंह जाति चारण निवासी ग्राम ठीकरिया चारणान तहसील तालेडा जिला बूंदी
2. मधुसुदन पुत्री योगेन्द्र सिंह जाति चारण नि0 ग्राम ठीकरिया चारणान तहसील तालेडा जिला बूंदी राज.
3. सिद्धार्थ पुत्र योगेन्द्र सिंह जाति चारण निवासी ग्राम ठीकरिया चारणान तहसील तालेडा जिला बूंदी राज.

वादीगण

बनाम

1. घीसी बाई पत्नि भूरा लाल जाति भील निवासी डीडवाना तहसील आमेठ जिला राजसमन्द हाल न्यू कॉलोनी, बून्दी, राजस्थान।
2. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील तालेडा जिला बूंदी राज0।

प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा 88,89,188 एवं 209 आर.टी. एक्ट

311/दावा/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु बहहाजरी श्री नन्दसिंह सौलंकी एडवोकेट मिनजानिब मुदई ..... मिनजातिब मुदायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि अतः वाद वादी वाद में कायम तनकीयात को प्रमाणित करने में असफल रहने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

नीज.......................... मुबलिक.............................. बाबत..................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह...................... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

मुदई		रुपया	पैसे	मुदायलाह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालात स्टाम्प बवह सबूत महबताबा वकील खर्चा गवाहाब फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान				स्टाम्प वकालात स्टाम्प अर्जी महबताबा वकील खर्चा गवाहाब फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 06 माह 03 वर्ष 2026 को जारी की गई।

मोहर

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा